



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219677  
CG-DL-E-01062020-219677

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]  
No. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISHTHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 29 मई, 2020

सा.का.नि. 337(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110, 110ए, 110बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2020 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले मांगे गए थे, जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी गई थी। तथापि कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को साठ दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: jspp-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

सा.का.नि 185 (ई) दिनांक 18 मार्च 2020 के खिलाफ पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें दोबारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी आपत्ति या सुझाव जो किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) में: -

(i) नियम 2 में, खंड (x) के बाद, निम्नलिखित खंड अन्तर्स्थापित जाएगा, अर्थात्:

"(Xa) मालिक "का अर्थ है एक व्यक्ति, एक व्यवसाय या लोगों का समूह जो मोटर यान का स्वामी (मालिक) है, जैसा कि यान के पंजीकरण रिकॉर्ड में दर्शाया गया है।"

(ii) नियम 126 में,

(क) शब्दों के बाद, "प्रत्येक निर्माता या मोटर वाहनों के आयातक सहित" निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"कृषि ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण वाहन, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर।"

(ख) पहले परंतुक से पहले, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि इस नियम में निर्दिष्ट सभी परीक्षण एजेंसियां, ऐसे मानकों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर गुणवत्ता मानक, विशेष रूप से एआईएस (ऑटोमोटिव उद्योग मानक) का अनुपालन संस्थापित करेंगे, और परीक्षण एजेंसियां, को इस नियम के तहत अधिसूचित किया गया है। ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख से करेगा या इस नियम के तहत आवेदन की तारीख, जो भी बाद में हो, से अनुपालन करेगा।

बशर्ते इसके अलावा इस उप-नियम के तहत परीक्षण एजेंसियों की मान्यता, पंजीकरण और विनियमन के उद्देश्य के लिए, इस नियम के तहत अधिसूचित एआईएस में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।"

(ग) दूसरे परंतुक में,

i. शब्दों के बाद "ए1एस: 017-2000 के अनुरूप, समय-समय पर यथासंशोधित," निम्नलिखित को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो,"

ii. "वाहन निर्माता एआईएस007 (आरईवी. 5): 2014" के अनुसार शब्दों के बाद, निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।"

(घ) तीसरा परंतुक का विलोप कर दिया जाएगा।

(ङ.) अंतिम परंतुक के बाद, निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते यह भी कि, परिवर्तित, पुराना या रूपांतरित मोटर वाहनों का परीक्षण किया जाएगा और इस नियम में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित, या मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणित या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अधिकृत कार्यशालाओं द्वारा स्व-प्रमाणित हो,।"

(iii) नियम 126एके लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**"126ए टाईप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता।-** (1) जहां परीक्षण एजेंसी एक वाहन को एक प्रकार के वाहन के रूप में मंजूरी देती है, वे एआईएस 017 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार(इसके बाद एक "टाईप संस्वीकृति संस्वीकृति प्रमाणपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसे समय-समय पर संशोधन किया जाता है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को यह कहते हुए निर्धारित किया जाता है कि यानएसबीआई आयन 110 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है ;

(2) निर्माता, डीलर या गोदाम के परिसर में प्रवेश के लिए अनुप्रयोज्यटाईप अनुमोदन के साथ आवश्यकताओं और शर्तों के अनुरूप परीक्षण एजेंसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अधीन एक प्रकार का अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ;

(3) परीक्षण एजेंसी द्वारा टाईप संस्वीकृति प्रमाणपत्र को अस्वीकार करने के लिए एक विस्तृत लिखित विवरण के साथ प्रमाण पत्र के इनकार के कारण प्रदान करना होगा;

(4) केंद्र सरकार मोटर यान को जारी किए गए टाईप संस्वीकृति प्रमाण पत्र को रद्द या स्थगित कर सकती है, यदि यह केंद्र सरकार, या इस उप-नियम के तहत नियुक्त किसी अधिकारी को प्रतीत हो, की ऐसी शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो जिसके अधीन एक टाईप संस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया गया हैं।

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, केंद्र सरकार, या इस उप-नियम के तहत नियुक्त कोई अधिकारी, टाईप संस्वीकृति प्रमाण पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देगा:

आगे जहां केंद्र सरकार, या इस उप-नियम के तहत नियुक्त किसी भी अधिकारी, इस उप-नियम के अनुसरण में एक प्रमाण पत्र को रद्द या स्थगित करता है, एक विस्तृत लिखित आदेश रद्द या स्थगन के लिए आधार बताते हुए जारी किया जाएगा ;

(4) नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियां, इस नियम के तहत, टाईप संस्वीकृति प्रमाणपत्र देने के बाद, निर्माता या डीलर या वेयरहाउस की उत्पादन लाइन से निकलेमोटर वाहनों पर सत्यापित करने के लिए परीक्षण करेगा कि क्या ये वाहन अधिनियम की धारा 110 और धारा 110 बी के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है;

बशर्ते कि साल में छह महीने की किसी निरंतर अवधि में किसी दिए गए बेस मॉडल के लिए भारत में बेचे जाने वाले वाहनों की संख्या के मामले में भारत में निर्मित या भारत में आयात किए गए वाहनों की संख्या 250 से कम हो, तो ऐसे बेस मॉडल और इसके वेरिएंट उपरोक्त परीक्षण के नहीं होते हैं, यदि कम से कम एक मॉडल या इसके वेरिएंट उस के निर्माता या आयातक द्वारा निर्मित या आयात किया गया हो, जैसा की मामला हो, तो वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे परीक्षण किए जाएंगे:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, बेस मॉडल और इसके वेरिएंट की और इस प्रकार निर्मित या आयात किए गए बेस मॉडल और इसके वेरिएंटों की संख्या एक से अधिक हो और यदि विशिष्ट बेस मॉडल और इसके वेरिएंट एक वर्ष में छह महीने की निरंतर अवधि में 250 से कम हैं, तो परीक्षण एजेंसियां इस तरह के परीक्षण के लिए एक वर्ष में एक बार इस प्रकार के मॉडलों और इसके वेरिएंटों में से एक वाहन ले सकती है।";

(iv) नियम 126बी को हटाया जाना।

(v) नियम 127के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे: -

**"127 ए. धारा 109 और 110 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता।-** (1) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, किसी जांच अधिकारी, या अधिकारियों, जिन्हें इस नियम के तहत शक्ति प्रदान की गई है, जांच करेंगे और इस अधिनियम की धारा 109 और 110 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए आवश्यक है। इस अध्याय के तहत जांच अधिकारी सरकारी अधिकारी होगा, और एक लोक सेवक और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जांच करने के लिए अधिकृत होगा।

(2) जांच अधिकारी, यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि इस अध्याय के तहत या उसके द्वारा लगाए गए मानकों का उल्लंघन हुआ है, केवल किसी व्यक्ति के निवास के रूप में अधिकृत परिसर के अलावा वाहन निर्माता या घटक निर्माता या

आयातक या मोटर यान या घटक के रेट्रोफिट या घटक में प्रवेश कर सकता है, और सॉफ्टवेयर, या मोटर यान या रेट्रो-फिटमेंट, जिसमें परीक्षण करने की कोई व्यवस्था शामिल हो सहित किसी घटक के उत्पादन से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड या प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता है। जांच अधिकारी द्वारा इस तरह की प्रविष्टि और निरीक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशक के, रैंक और वेतन के समतुल्य या ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद हो जाएगा।

(3) यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि इस अध्याय के तहत या उसके द्वारा लगाए गए मानकों का उल्लंघन हुआ है, तो वह निम्नालिखित कार्य कर सकता है-

(क) यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या इस तरह का कोई उल्लंघन हुआ है, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच के अधीन, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध उत्पादन को अभिलेखों सहित मोटर यान या घटक से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत और परिसर से सुलभ अभिलेख की मांग करेगा। सुविधा जनक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता हो और अभिलेख के लिए संग्रहीत किया जा सकता है;

(ग) परीक्षण करने या अन्यथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, तैयार मोटर यान का एक नमूना प्राप्त करेगा, जिसमें एक घटक हिस्सा या सॉफ्टवेयर शामिल हो, की मानकों का अतिक्रमण करने हुए, इस तरह का कोई उल्लंघन के लिए किया गया है; तथा

(घ) जांच के अधीन, बिक चुके और अनबिके वाहन के स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत करने की मांग करेगा।

(4) उप-नियम 3 (ग) के तहत नमूने प्राप्त करने वाला एक अधिकारी उस व्यक्ति को फॉर्म 50 ए के तहत नमूने लेने के लिए लिखित में कारण प्रदान करेगा, जिस से वे नमूने लिए गए थे;

(5) उप-नियम 3 (सी) के तहत एक नमूना प्राप्त करने के बाद, अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस नियम के तहत निर्दिष्ट की गई किसी परीक्षण एजेंसी को, इस संबंध में या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी को या जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित एक या अधिक एजेंसी को नमूना भेज सकता है, और ऐसी एजेंसी, प्रपत्र 50बी के अनुसार, इस अध्याय के तहत लगाए गए या उसके तहत मानकों के अनुपालन पर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा ;

(6) एजेंसी द्वारा परीक्षण कराने की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यदि अधिनियम की धारा 182 ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही से यह पता चलता है कि यान, या घटक भाग, जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है, दोषपूर्ण है, जैसा की मामला हो, ऐसे परीक्षणों की लागत निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटरसे वसूल की जाएगी;

(7) उप-नियम 5 के तहत एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी, ऐसे निष्कर्षों के साथ-साथ जांच के निष्कर्षों को इस संबंध में फॉर्म 50 सी में, केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(8) एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि कोई हो, और उप-नियम (6) के तहत जांच अधिकारी के निष्कर्ष, प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसे अधिकारी, अधिनियम की धारा 182 ए के तहत निर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर और इस तरह के अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू कर सकता है;

बशर्ते कि मोटर यान के संबंध में निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा की गई स्वैच्छिक सुधारात्मक कार्रवाई, जिसमें मानक का अनुपालन न करने का पता चला हो, पर अधिनियम की धारा 182 ए के तहत कार्यवाही शुरू करते समय केंद्र सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

आगे कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के बाद कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी;

(9) धारा 182 ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही के दौरान, केंद्र सरकार या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसे अधिकारी, नियम 127बी के अनुसार एक निलंबननोटिस जारी कर सकते हैं।

**127बी. निलंबन नोटिस-** (1) इस संबंध में केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार द्वारा नामित इस तरह के अन्य अधिकारी, धारा 182एके तहत कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को निलंबन नोटिस जारी कर सकता है, और उननिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है:

(क) भारत में, मोटर यान के मॉडल या संस्करण को, उसके घटक भाग या सॉफ्टवेयर को बाजार में जांच के तहत रखना, उसे बाजार में रखने की पेशकश करना, उसे बाजार में रखने के लिए सहमत होना या बाजार में रखने के लिए उसे प्रकट करना, या

(ख) भारत में, जांच के तहत मोटर यान के मॉडल या वेरिएंट, इसके घटक हिस्से या सॉफ्टवेयर की बाजार में आपूर्ति करना, आपूर्ति करने की पेशकश करना, के लिए सहमत होना।

बशर्ते कि निलंबन नोटिस के तहत निलंबन की अवधि धारा 182 ए के तहत शुरू की गई कार्यवाहियों की अवधि से अधिक नहीं होगी :

(2) जांच के तहत मोटर यान या घटक के संबंध में दिया गया एक निलंबन नोटिस में, उसनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के लिए आवश्यक होगा, कि वह इस तरह के मोटर वाहनों या उनके घटक भागों के बारे में प्राधिकरण को सूचित रखे।

**127 सी. दोषपूर्ण मोटर यान और रिकॉल सूचना -** (1) मोटर यान के मालिक, एक परीक्षण एजेंसी, या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, इस नियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को, एक विशेष प्रकार के मोटर यान को "दोषपूर्ण मोटर यान" के रूप में नामित करने के लिए इस उद्देश्य के लिए स्थापित यान रिकॉल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

**स्पष्टीकरण -** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एक "दोषपूर्ण मोटर यान" का अर्थ एक मोटर यान होगा जो अधिनियम की धारा 110ए (1) के दायरे में आता है, और इसमें एक मोटर यान शामिल होगा जिसमें एक घटक हिस्सा होता है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर, जो दोषपूर्ण हो सकता है।

बशर्ते, कि इस नियम के उद्देश्यों के लिए "दोष" का अर्थ किसी यान या घटक या सॉफ्टवेयर में कोई खराबी है जो सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम पैदा करता है या होने की संभावना है, और यह उसी डिजाइन के वाहनों के समूह या निर्माण या एक ही प्रकार के उपकरणों के सामान और निर्माण में मौजूद है, और जो डिजाइन, विनिर्माण या निर्माता की विधानसभा चरण में उत्पन्न हुआ;

(2) यान रिकॉल पोर्टल पर किए जाने वाले उप-नियम (1) के अनुसार आवेदन में मोटर यान के विशेष विवरण, मोटर यान के शिकायतकर्ता / मालिक, मोटर यान में दोष की प्रकृति / घटक / सॉफ्टवेयर, दोष को हल करने के लिए मोटर यान के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा की गई स्वैच्छिक कार्रवाई, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य जानकारी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हो सकती है, के बारे में ऐसी जानकारी होगी;

(3) केंद्र सरकार धारा 110 ए (5) में प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और इस नियम के प्रयोजनों के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नामित करेगी ;

(4) नामित प्राधिकारी, मोटर यान के निर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर जहां वह उचित समझे कि मोटर यान एक "दोषपूर्ण मोटर यान" है, को एक स्वप्रेरणा से रिकॉल नोटिस जारी कर सकता है और यह दोष एक ही डिजाइन या निर्माण के यानों के समूह में मौजूद है, या एक ही प्रकार के उपकरण और निर्माण के समानों और जो डिजाइन, निर्माण या असेंबली चरण में उत्पन्न हुआ और यही उपभोक्तकों को पहले ही प्रदान या उपलब्ध उपभोक्तकों को पहले ही प्रदान या उपलब्ध कराया जा चुका है।

परंतु यह और कि रिकॉल नोटिस जारी करने से पहले, नामित प्राधिकारी उप-नियम (5) और (6) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा :

(5) यदि नामित प्राधिकारी को उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है, या उसने उप-नियम (2) के तहत स्वप्रेरणा से कार्रवाई शुरू की है तो वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशक रैंक और पे के समतुल्य/ऊपर के

अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, मोटर यान निर्माण, आयातक या रेट्रोफिटरको कारण बताओं नोटिस जारी करेगा और इस तरह के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, जैसा उपयुक्त हो नामित प्राधिकारी को जवाब दे सकता है।

बशर्ते कि नामित प्राधिकारी एक रोलिंग वर्ष में मोटर वाहनों के मालिकों द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर इस नियम के तहत प्रक्रिया शुरू करेगा, केवल तभी जब यान रिकॉल पोर्टल के प्रबंधक नामित अधिकारी को सूचित करें कि एक प्रकार के मोटर यानमें एक विशेष दोष के लिए की गई एक शिकायत की गई है। ऐसे प्रतिशत मालिकों को अधिसूचित किया जा सकता है।

परंतु यह और की मोटर यान के लिए लागू मानक मोटर यान के निर्माण, आयात या पुनर्निरीक्षण के समय लागू मानक होगा :

बशर्ते यह भी कि यह रिकॉल उन वाहनों तक सीमित होगा, जो विनिर्माण, आयात या रेट्रोफिटमेंट की तारीख से सात साल से कम पुराने हैं ;

(6) उप-नियम (3) के तहत निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, या यदि उक्त निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो नामित प्राधिकारी ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएगा जो यह जांच करने के लिए उपयुक्त लगती हो कि क्या यह मोटर यान "दोषपूर्ण मोटर यान" है;

(7) उप-नियम (4) के तहत मोटर यान, या उसके घटक भाग या सॉफ्टवेयर पर किए गए किसी भी परीक्षण की लागत या शुल्क, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा वहनकिया जाएगा;

(8) इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि नामित प्राधिकारी को पता चलता है कि यान एक "दोषपूर्ण मोटर यान" है और एक रिकॉल नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, या निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने नियम 127डी के तहत घोषणा की है तो नामित प्राधिकारी: करेगा की निर्माता, आयातक या मोटर यान के पीछे हटना आवश्यक है,:

(क) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर से मोटर यान के निर्माण संबंधी सभी दस्तावेजों और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करने की मांग करेगा;

(ख) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर से कथित दोष वाले सभी मोटर वाहनों की सभी जानकारी प्रस्तुत करने की मांग करेगा; तथा

(ग) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को ऐसी अन्य जानकारी देने की मांग करेगा है, जो रिकॉल नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हो।

(9) नामित प्राधिकारी, इस नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को एक रिकॉल नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उन्हें निर्दिष्ट कार्रवाई के रूप में ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता और इसके साथ है:

(क) जहां और जिस हद तक ऐसा करने के लिए व्यावहारिक हो, उन उपभोक्ताओं से संपर्क करें जिन्होंने मोटर यान खरीदा है ताकि उन्हें रिकॉल के बारे में सूचित किया जा सके;

(ख) इस रूप में और इस तरह से एक नोटिस प्रकाशित करें जिससे मोटर यान के खरीदारों का ध्यान जो मोटर यान जोखिम और रिकॉल की यथार्थता की ओर दिलाए जाने की संभावना हो;

(ग) मोटर यान के संग्रह या सुधार के लिए व्यवस्था करना या और जहाँ कहीं आवश्यक हो उन उपभोक्ताओं और से मोटर यान के संग्रह या वितरण को सुगम बनाए, जिन्होंने इसे खरीदा है या निपटान करता है;

(घ) नोटिस के प्राप्तकर्ता पर ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताएं जो नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति या इसके निपटान के लिए उपभोक्ताओं से मोटर यान की वापस को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं; तथा

(ड.) केंद्र सरकार द्वारा निर्देशों के अनुसार, मामला-दर-मामला के आधार पर नीचे दी गई तालिका ए के अनुसार, सीमा के भीतर ऐसा जुर्माना लगाया जाए:

## तालिका क

वापस लिए गए यानों की संख्या (मोटर यान अधिनियम 2019 की 110 ए (4) के अलावा अन्य को वापस लेने के लिए)				तक का जुर्माना
2 डब्ल्यू	3 डब्ल्यू और एल7	एम 1, एन 1	एम 2, एम 3, एन 2, एन 3, टी 3, टी 4	
1 से 6000	1 से 3000	1 से 1,000	1 से 500	10 लाख
6001 से 60,000	3,001 से 30,000	1,001 से 10,000	501 से 5000	20 लाख
60,001 से 6,00,000	30,001 से 3,00,000	10,001 से 1,00,000	5,001 से 50,000	50 लाख
6,00,000 से अधिक	3,00,000 से अधिक	1,00,000 से अधिक	50,000 से अधिक	100 लाख

बशर्ते कि नियम 127डी के तहत घोषणा करने वाले अगर निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटरने इन नियमों के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करने से पहले, इन नियमों के लिए अनुबंध 12 में निर्दिष्ट स्वैच्छिक रूप से वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है तो वे उपनियम 9 के प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे।

(10) इस नियम के तहत जारी किए गए एक रिकॉल नोटिस के खिलाफ एक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष की जाएगी, और किसी भी रिकॉल नोटिस से नाराज निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को रिकॉल नोटिस प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपील दायर करना आवश्यक होगा।

**127D. निर्माताओं, आयातकों या रेट्रोफिटर्स के दायित्व। -** (1) मोटर यान के प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के पास इन नियमों के अनुसार अनुबंध XII में निर्दिष्ट अनुसार मोटर यान रिकॉल योजना होगी। प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के पास योजना के अनुपालन के लिए सक्षम बनाने हेतु संगठन की प्रक्रिया होगी। रिकॉल प्लान और संगठन की प्रक्रिया को संगठन की गुणवत्ता नियमावली में दर्शाया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित पक्षपात के बिना दायित्व की व्यापकता में, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के लिए आवश्यक है:

(क) उनके द्वारा निर्मित, आयातित या रेट्रोफिटेड, मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न जोखिमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;

(ख) जांच कर सकते हैं, और मोटर वाहनों के नमूने ले सकते हैं और उन्हें सुरक्षा जांच के अधीन कर सकते हैं;

(ग) रिकॉल से संबंधित शिकायतों का एक रजिस्टर बनाए रखें और डीलरों को ऐसी निगरानी के बारे में सूचित रखें;

(घ) बजार से मोटर यान को वापस लेने, प्रर्याप्त रूप से प्रभावित उपभोक्ताओं को चेतावनी देने सहित रिकॉल संबंधी जोखिम से बचने के लिए उचित कार्रवाई करें; और

(ड.) इन नियमों के अनुबंध XII में निर्धारित अपेक्षा का अनुपालन करें।

(3) जहां निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, अपने कब्जे में और पेशेवरों के रूप में जानकारी के आधार पर जानता है, कि उनके द्वारा निर्मित, आयातित या रेट्रोफिटेड मोटर यान उपभोक्ता को जोखिम उत्पन्न करता है और "अधिनियम की धारा 110 ए के अर्थ के भीतर संभावित रूप से "दोषपूर्ण मोटर यान" हैं।, तो वे विशेष रूप से विवरण प्रदान करते हुए, उपभोक्ता को जोखिम को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में तुरंत इस अध्याय में नामित प्राधिकारी को सूचित करेंगे।

बशर्ते कि अगर निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने इस उप-नियम के तहत नामित प्राधिकारी को सूचित किया है, और वे बताते हैं कि उन्होंने उपभोक्ता को जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है, जिसमें मोटर यान की स्वैच्छिक वापसी भी शामिल है तो वे नियम 127 सी (9) (ई) के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे ;

(4) जब निर्माता, आयातक या मोटर यान के मालिक को इस नियम के तहत रिकॉल नोटिस दिया जाता है, तो वे अधिनियम की धारा 110ए (3) में निर्दिष्ट उपाय करेंगे।

बशर्ते निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, रिकॉल नोटिस में निर्दिष्ट उपायों को शुरू करने और पूरा करने के लिए नामित प्राधिकरण को अतिरिक्त समय देने के लिए आवेदन कर सकते हैं ;

(5) उत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर को अपनी वेब साइट और / या पोस्ट, ईमेल, लिखित संसूचना के माध्यम से, प्रभावित वाहनों के सभी उपभोक्ताओं को रिकॉल कार्रवाई शुरू करने और वह दोष जिसके लिए रिकॉल किया जा रहा है और मालिकों और सड़क उपयोगकर्ताओंको इसकेसुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना।

(6) यह संसूचना, उपभोक्ताओंको उत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध उपचारों और तौर तरीको के बारे में अनुमोदित करेंगा

(7) उत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गये प्रथम रिकॉल संसूचना के बावजूद अगर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होती है उत्पादकों, आयातको अथवा रेट्रोफिटर को कम से कम तो एक और अनुवर्ती संसूचना भेजी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां परउत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर के द्वितीय संसूचना के बावजूद उपयोगकर्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है अथवा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब इस प्रकार के रिकॉल प्रक्रिया पूर्ण करने में विफलता के मामलों में उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में उत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा पुख्ता प्रयास करने के बावजूद जहां उपयोग कर्ता का कोई अतापता नहीं, रिकॉल प्रक्रिया पूर्ण करने में विफलता के मामलों में उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(8)उत्पादक, आयातक या रेट्रोफिटर को उनके द्वारा किये गये रिकॉल को अनुबंध XII के प्रपत्र ए और बी के अनुसार रिकॉर्ड रखेगा जब तक रिकॉल की अवधि समाप्त नहीं हो जाती और उसके बाद नामित प्राधिकरण को निर्दिष्ट प्रपत्र जमा कर देगा। "

(vi) प्रपत्र 50 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र को अंतर्स्थापित किये जायेगे, अर्थात: -

<b>जांच अधिकारी द्वारा वाहन उत्पादक या घटक उत्पादक या आयातक या मोटर वाहन या घटक के रेट्रोफिटर को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र</b>			
<b>प्रपत्र 50 ए</b>			
<b>[नियम 127ए (4)]</b>			
<b>सूचना आईडी</b>	<b>( ऑटोजेनेरेट )</b>	<b>दिनांक</b>	<b>( ऑटोजेनेरेट )</b>
<b>जांच की साइट:</b>			
उत्पादक / आयातक का नाम		(टेक्स्ट बॉक्स)	
उत्पादक /आयातक का पता		(टेक्स्ट बॉक्स)	
<b>मामला / जांच का विषय:</b>			
<b>पृष्ठभूमि:</b>			



<i>पहले टेक्स्टबॉक्स को भरें; उत्पादक परिसर में प्रवेश करने से पहले भरे; भरे जाने के बाद अपरिवर्तनीय होगा</i>	
जांच के कारण:	
<i>पहले टेक्स्टबॉक्स को भरें; उत्पादक परिसर में प्रवेश करने से पहले भरे, भरे जाने के बाद अपरिवर्तनीय होगा</i>	
<b>प्रमाण</b> <i>प्रकार (डेटा, नमूना, प्रक्रिया, समाचार, अन्य )</i> डेटा <input type="text"/> नमूना <input type="text"/> प्रक्रिया <input type="text"/> अन्य <input type="text"/> साक्ष्य विवरण: <i>"डेटा" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होना</i> डेटा <input type="text"/>	
फ़ाइल सं.	(टेक्स्ट बॉक्स)
डेटा की तारीख	(दिनांक/ माह / वर्ष)
अन्य जानकारी	(टेक्स्ट बॉक्स)
स्थान	(टेक्स्ट बॉक्स)
<b>सैंपल</b> वाहन <input type="text"/> संघटक <input type="text"/> उप असेम्बल <input type="text"/>	<i>"नमूना" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होने के लिए</i>
वाहन की कंपनी	(टेक्स्ट बॉक्स)
वाहन मॉडल	(टेक्स्ट बॉक्स)
चेसिस	(टेक्स्ट बॉक्स)
इंजन नंबर / मोटर आईडी	(टेक्स्ट बॉक्स)
पार्ट मेक	(टेक्स्ट बॉक्स)
पार्ट मॉडल	(टेक्स्ट बॉक्स)
पार्ट आईडी /	(टेक्स्ट बॉक्स)
जब्टी / का बैच सिलिंग/उत्पादन की मात्रा	
सैंपल / जब्त वाहन की सं.	
<b>प्रक्रिया</b>	<i>"प्रक्रिया" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय</i>
(टेक्स्ट बॉक्स)	
<b>अन्य</b>	<i>"अन्य" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय</i>

(टेक्स्ट बॉक्स)					
(अतिरिक्त साक्ष्य के लिए और पत्रक जोड़ें) - संदेह			<i>साक्ष्य जोड़ो के लिए बटन</i>		
(टेक्स्ट बॉक्स)					
गवाह साक्षात्कार अपेक्षित	हाँ		नहीं		
साक्षी संख्या	क्रमांक सं. - ऑटो जनरेट यदि हां , एनए यदि नहीं				
साक्षी का नाम	(टेक्स्ट बॉक्स) - संपादन योग्य यदि । नहीं। उत्पन्न; फ्रीज सेल, यदि एनए				
साक्षी का पदनाम	(टेक्स्ट बॉक्स) - संपादन योग्य यदि । नहीं। उत्पन्न; फ्रीज सेल, यदि एनए				
साक्षी का विभाग	(टेक्स्ट बॉक्स) - संपादन योग्य यदि । नहीं। उत्पन्न; फ्रीज सेल, यदि एनए				
परिसाक्ष्य:					
(टेक्स्ट बॉक्स) - संपादन योग्य यदि नहीं। उत्पन्न; फ्रीज सेल, यदि एनए					
गवाह के हस्ताक्षर	<i>डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान</i>				
(अतिरिक्त गवाहों के लिए अधिक पत्रक जोड़ें) -			<i>गवाह जोड़ने के लिए बटन</i>		

संलग्नक / दस्तावेज ----	
निर्माता प्रतिनिधि	
नाम	(पाठ बॉक्स)
पद	(पाठ बॉक्स)
विभाग	(पाठ बॉक्स)
हस्ताक्षर	<i>डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान</i>
स्टांप / मुहर	
जांच अधिकारी	
नाम	(पाठ बॉक्स)
संगठन	(पाठ बॉक्स)
पद	(पाठ बॉक्स)
विभाग	(पाठ बॉक्स)
हस्ताक्षर	<i>डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान</i>

स्टांप / मुहर

## प्रपत्र 50 बी

(देखें नियम 127ए (5))

परीक्षण एजेंसी द्वारा अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र (परीक्षण करने वाले एजेंसी से जांच रिपोर्ट)		दिनांक:
1.0	रिपोर्ट क्रमांक.	
2.0	जांच का संदर्भ	
3.0	केंद्र सरकार के लिए शिकायत को देखने वाले अन्वेषण अधिकारी का नाम	
4.0	वाहन निर्माता / आयातक / रेट्रोफिटर का नाम और पता	
5.0	बताए गए दोष का स्वरूप और विवरण	
6.0	परीक्षण एजेंसी (परीक्षण / सत्यापन / लेखा परीक्षा) द्वारा की गई जांच की पद्धति	
7.0	साइट जहां जांच की गई	
8.0	परीक्षण रिपोर्ट (एस) / निर्दिष्ट विवरण (यदि लागू हो)	
9.0	नमूना (वाहन / प्रणाली / घटक)	
9.1	वाहन की कंपनी	
9.2	वाहन मॉडल / सीएमवीआर के लिए प्रमाणित वेरिएंट है	
9.3	वीआईएन / चेसिस नं।	
9.4	इंजन नंबर / मोटर आईडी नं।	
9.5	सिस्टम / संघटक / सॉफ्टवेयर मेक	
9.6	सिस्टम / सं. घटक मॉडल	
9.7	सिस्टम / सं. घटक / सॉफ्टवेयर आईडी नं.	
10.0	उत्पादन बैच और उत्पादन की मात्रा का विवरण जहां से नमूना लिया गया था	
11.0	जांच के लिए अपनाया गया विशिष्ट दृष्टिकोण, यदि कोई हो।	
12.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए जांच का विवरण (यदि आवश्यक हो तो संलग्नक जोड़ा जा सकता है)	
13.0	विशिष्ट रिपोर्ट / संलग्नक, इस जांच के लिए प्रासंगिक माना जाता है, यदि कोई हो।	
14.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष	

15.0	नाम, हस्ताक्षर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व प्रत्यायक	
------	---	--

**प्रपत्र 50 सी**

[देखें नियम 127ए (5)]

जांच एजेंसी द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र (परीक्षण करने वाले एजेंसी से जांच रिपोर्ट)		
दिनांक:		
1.0	रिपोर्ट सं.	
2.0	जांच संदर्भ	
3.0	केंद्र सरकार के लिए शिकायत को देखने वाले जांच अधिकारी का नाम	
4.0	वाहन निर्माता / आयातक / रेट्रोफिटर का नाम और पता	
5.0	संसूचित किए गये दोष का स्वरूप और विवरण	
6.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा की गई जांच की पद्धति(परीक्षण / सत्यापन / लेखा परीक्षा)	
7.0	साइट जहां जांच की गई	
8.0	परीक्षण रिपोर्ट (एस) / निर्दिष्ट विवरण (यदि लागू हो)	
9.0	नमूना (वाहन / प्रणाली / घटक / सॉफ्टवेयर)	
9.1	वाहन मेक	
9.2	वाहन मॉडल / वेरिएंट सीएमवीआरके लिए प्रमाणित है	
9.3	वीआईएन/ चेसिस नं	
9.4	इंजन नंबर / मोटर आईडी नं।	
9.5	सिस्टम / घटक/ सॉफ्टवेयर मेक	
9.6	सिस्टम / घटक मॉडल	
9.7	सिस्टम / घटक / सॉफ्टवेयर आईडी नं।	
10.0	उत्पादन बैच और उत्पादन की मात्रा का विवरण जहां से नमूना लिया गया था	
11.0	जांच के लिए अपनाया गया विशिष्ट दृष्टिकोण, यदि कोई हो।	
12.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए जांच का विवरण (यदि आवश्यक हो तो संलग्नक जोड़ा जा सकता है)	

13.0	विशिष्ट रिपोर्ट / संलग्नक इस जांच के लिए प्रासंगिक माना जाता है, यदि कोई हो।	
14.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष	
15.0	नाम, हस्ताक्षर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की प्रत्यय पत्र	"।

(vii) अनुबंध XI के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध अंतस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

### "अनुबंध-XII

#### (नियम 127सी के तहत वाहन वापस करने की प्रक्रिया)

#### 1 परिभाषाएं:

(क) "रि कॉल" - मोटर वाहनों को लागू मानकों के अनुसार इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाना आवश्यक होता , जिससे वह सड़क पर उपयोग के लिए सुरक्षित हो। है। कभी-कभी, बाजारों में जारी बीट के बाद यदि निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के विचार में, कुछ वाहनों में ऐसे मुद्दे होते हैं, जो शायद नियम 127 सी में की गई परिभाषा के अनुसार 'दोष' होते हैं, तो निर्माता या आयातक (वितरक) द्वारा तो ऐसे वाहनों को मंगाया जाता है उन्हें निःशुल्क रूप से जांच करके उनमें सुधार किया जाता है। इस गतिविधि को "रि कॉल" कहा जाता है।

(ख) "वाहन रि कॉल पोर्टल" का अर्थ , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या नामित प्राधिकारी द्वारा या की ओर से बनाए गए, अपलोड किए गए और अनुरक्षित किये गए सुरक्षा रि कॉल का डेटा बेस है, जो नियम 127C में निर्दिष्ट है।

(ग) "रि कॉल उत्पाद" का अर्थ एक ऐसा उत्पाद होगा जिसमें किसी दोष की पहचान की गई है और उचित जांच के बाद इसकी पुष्टि की गई है।

(घ) "वापस बुलाए जाने के संबंध में" के संबंध में रि कॉल का अर्थ संभावित रूप से प्रभावित उत्पाद का निरीक्षण करके सुधार किया जाना या, जहां आवश्यक हो, एक दोषपूर्ण घटक, भाग या सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन है यदि रि कॉल उत्पाद, जिसे वापस बुलाया जा रहा है के संबंध में दोष पाया जाता है। रि कॉल गतिविधि में वाहन को बदला जाना जरूरी नहीं होगा।

(ङ) "घटक" का अर्थ है, वाहन निर्माता द्वारा वाहन में फिट किया गया या वाहन के साथ प्रधान किया गया कोई हिस्सा या असेम्बली

(च) "नामित प्राधिकारी" का अर्थ है, नियम 127सी के तहत नियुक्त अधिकारी।

2. जिम्मेदारी को सौंपा जाना- प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, केंद्र सरकार या नामित प्राधिकारी को रि कॉल करने की प्रगति की सूचना देने के लिए और निर्माता, आयातक या संगठन के भीतर ऐसे अन्य मामलों से निपटने के लिए रि कॉल की आरंभ, संचालन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपेगा।

3. निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा प्रक्रियाओं की स्थापना - प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, अपने संगठन के भीतर ऐसी प्रक्रियाओं की स्थापना और रखरखाव करेगा, जो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को यहां निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाएगा।

4. निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा सुरक्षा दोषों से संबंधित जांच -

- (1) दोष के निर्धारण के लिए वाहन के चालक द्वारा विफलता की घटना की संभावना, संभावित विफलता के परिणामों की गंभीरता के साथ-साथ नियंत्रणीयता जैसे कारकों के आधार पर एक उचित जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- (2) यदि किसी निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के पास यह मानने का कारण है कि किसी उत्पाद के किसी मॉडल, प्रकार या श्रेणी में कोई दोष मौजूद है, या हो सकता है तो, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर यह निर्धारित करने के लिए वह तुरंत जांच शुरू करेगा कि क्या कोई दोष विद्यमान है।
- (3) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच तेजी से और कुछ इस तरीके से की जाए जो उन्हें ठीक से और तुरंत यह निर्धारित करने में सक्षम करे कि क्या दोष मौजूद है और, यदि हां, तो दोष और उत्पादों की प्रकृति जो दोष के कारण प्रभावित हुई हो।
- (4) जाँच करते हुए निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, इस बात पर विचार करेंगे कि: -
  - (क) प्राप्त जानकारी या सलाह, घटना या घटनाएँ जो एक दोष के अस्तित्व और घटनाओं की संख्या और बारंबारता को इंगित कर सकती हैं;
  - (ख) कब, और किन परिस्थितियों के अंतर्गत या किन परिस्थितियों में, घटनाएँ घटित हुई हैं या हो सकती हैं;
  - (ग) दोष के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं के परिणाम; तथा
  - (घ) कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ जो दोष को इंगित करने वाली घटना से सीधे संबंधित है।
- (5) यदि जांच और विचार से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सुरक्षा दोष मौजूद है, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, वाहन को वापस बुलाने की कार्रवाई के लिए अयोग्य होने का फैसला कर सकते हैं और उत्पाद की निगरानी निरंतर करते रहेंगे।

## 5. रिकॉल करने के संबंध में दायित्व

### (1) सामान्य दायित्व -

- (क) यदि, इस अनुलग्नक के खंड 4 में उल्लिखित जांच और विचार के परिणामस्वरूप, किसी में मौजूद दोष पाया जाता है तो उत्पाद, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार रिकॉल करेगा।
- (ख) मोटर वाहन पर लागू होने वाले मानक वही होंगे जो, उस मोटर वाहन विशेष के निर्माण, आयात या रेट्रोफिटमेंट के समय प्रचलित रहे होंगे।

### (2) अपवाद-

- (क) यदि कोई निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, ग्राहक को सौंपने से पहले अपने उत्पाद में किसी दोष की पहचान करता है, तो वे इस तरह के उत्पाद के संबंध में सुरक्षा रिकॉल करने के दायित्व के अधीन नहीं होंगे।
- (ख) वाहन की समय पर मरम्मत, रखरखाव और ठीक तरह से अनुरक्षण, जैसा कि वाहन-मालिक के मैनुअल या हैंडबुक में परामर्शित है, वाहन मालिक की प्रमुख जिम्मेदारी है। तदनुसार, निर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर द्वारा जांच के पश्चात यह पाया जाता है कि वाहन मालिक द्वारा या वाहन निर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर अथवा सीएमवीआर द्वारा कानूनी प्रावधानों के अधीन अधिकृत किसी ऐजन्सी द्वारा फिटमेंट या बदलाव किये जाने के कारण वाहन का कार्यनिष्पादन प्रभावित होता है और ऐसे वाहन के उपयोग के परिणाम स्वरूप दोष उत्पन्न होता है तो वह सूचित दोष हेतु सिकॉल संबंधी कार्रवाई के लिए योग्य नहीं होगा।

- (ग) कोई भी वाहन को रिकॉल के लिए अयोग्य होगा यदि उसे उपयोग करते हुए बहुत अधिक बोझ लादा गया हो या उसका उस प्रयोजन के इतर प्रयोग किया गया हो जिसके लिए उसे डिजाइन और स्वाकृत किया गया था।
- (घ) कोई भी वाहन रिकॉल के लिए अयोग्य होगा, जिसने नागरिक उपद्रवों, या प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवाद जैसी कृत्यों के दौरान परिस्थितिजन्य घटनाओं के कारण कोई दोष विकसित हुआ हो।

(3) **रिकॉल उत्पादों की पहचान और सुधार के तरीके का निर्धारण-** यदि कोई निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को इस अनुबंध के खंड 4 के तहत एक रिकॉल का संचालन करने की आवश्यकता होती है, तो वे इसे अनुचित देरी के बिना करेंगे -

- (क) यूनीक नंबर (वाहन आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर या अन्य ऐसे नंबर, निर्माण की तारीख और / या ऐसे अन्य पहचान करने वाले ब्योरे जो उपलब्ध हैं या जो यथोचित रूप से प्राप्त किए जा सकते हो) के द्वारा रिकॉल किए गए उत्पादों की पहचान करें; तथा
- (ख) रिकॉल वाले उत्पादों को ठीक करने के तरीके को निर्धारित करेंगे (यदि सुधार किया जाता आवश्यक है) ताकि उनमें सुरक्षा दोष को दूर किया जा सके।

(4) **सुरक्षा रिकॉल के लिए तैयारी और प्रकाशन-** जब किसी निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा रिकॉल उत्पादों की पहचान कर लिया गया हो और यह निर्धारित कर लिया हो कि उसे किस तरह से रिकॉल किए गए उत्पादों को निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, उनके प्रतिनिधि या अधिकृत डीलर द्वारा ठीक किया जाना है,

- (क) दोष का स्वरूप और / या सुधार के लिए वास्तविकता के संबंध में, सुरक्षा रिकॉल के लिए जो कदम उठाए जाने हैं, के बारे में ग्राहकों को सूचित करना, जैसा कि नियमों में निर्धारित है और विशेष रूप से, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, या उनके प्रतिनिधि तैयार करेंगे:
- (i) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को उपलब्ध ऐसे रिकॉर्ड और स्रोतों कीऐसी सूची जिसमें नाम, पते और रिकॉल उत्पादों के मालिकों के अन्य आवश्यक विवरण हो;
- (ii) अधिकृत डीलर(ओं) को एक नोटिस, जो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के कार्यों के रिकॉल और विवरणों के बारे में उन्हें सूचित करता हो, और उनके डीलरों को रिकॉल को शुरू करने और उसे संचालित करने की आवश्यकता होगी;
- (iii) नियमावली में यथा पदनामित प्राधिकारी को एक संसुचना ;
- (iv) रिकॉल उत्पाद के मालिकों को एक नोटिस जो उनके अधिकारों और उन्हें उन कार्यों के बारे में सूचित करना है, एवं उन्हें रिकॉल की पहल का समर्थन के लिए कार्रवाई के बात को बताता है।
- (ख) यदि दोष की प्रकृति और /अथवा रिकॉल उत्पादों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो तो सुधार की तात्कालिकता के संबंध में निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, प्रासंगिक उत्पाद के मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुरक्षा दोष के बारे में जागरूक करेंगे, ऐसी सूचनाओं को प्रसारित करना जो कि रिकॉल किए गए उत्पादों के मालिकों और उन कार्यों को सूचित करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें ऐसे मालिकों द्वारा तुरंत लेने की आवश्यकता है।
- (5) **प्रतिस्थापित वस्तुओं की उपलब्धता और रिकॉल गतिविधि के अनुदेश:-** जब निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने दोष और रिकॉल उत्पादों की प्रकृति की पहचान कर लिया हो और यह निर्धारित किया हो कि किस तरीके से दोष को ठीक किया जाएगा, उत्पाद रिकॉल करते हैं निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर यह सुनिश्चित करे कि उनके डीलर

हैं, या के पास समय पर, सॉफ्टवेयर, सहित भागों, संयोजन और / या सामग्री, और तकनीकी और अन्य निर्देशों के मालिक के रूप में दोष को सुधारने पर्याप्त लक्ष्य हो।

**6. नामित प्राधिकारी को नोटिस -** स्वैच्छिक रिकॉल शुरू करने के सात कार्य दिवसों के भीतर निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर या उनके अधिकृत डीलर या प्रतिनिधि, फॉर्म ए में दिए गए प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक या कागज पर लिखित रूप से सूचना देंगे।

**7. जवाब देने में मालिक की विफलता -** यदि किसी रिकॉल उत्पाद का कोई मालिक, पहले नोटिस का जवाब देने में विफल रहता हो या निरीक्षण के लिए वापस बुलाए गए उत्पाद को वापस लाने में विफल रहता हो, और जहां, पहले सूचना के निर्माता से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उचित, सुधार, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, या उनके प्रतिनिधि या अधिकृत डीलर, अगले तीस दिनों के भीतर मालिक को अंतिम नोटिस भेजेंगे और नियमों में निर्धारित प्रगति की निगरानी करेंगे। आवश्यकता के अनुसार रिकॉल प्रोग्रेस डेटा को नामित प्राधिकारी के साथ साझा किया जाएगा।

**8. उत्पादों के निर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर और आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व के लिए परामर्श -** यदि किसी उत्पाद में कोई सुरक्षा दोष है, या हो सकता है, और उस उत्पाद को किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता से विनिर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर के द्वारा मंगावाया गयाथा तो विनिर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर इसे तत्काल तीसरे पक्ष को सूचित करेंगे। जहां विनिर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर उचित समझे, वे सुरक्षा दोष की प्रकृति को निर्धारित करने में तीसरे पक्ष की सहायता मांगेंगे। विनिर्माता, आयातक अथवा रेट्रोफिटर तीसरे पक्ष को ऐसे उत्पाद के संबंध में एक सुरक्षा रिकॉल करने के बारे में निर्णय लिए जाने के पश्चात अपने निर्णय से शीघ्रतिथीय तीसरे पक्ष को अवगत करायेगा। यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि सुरक्षा दोष किसी अधिनियम या चूक या अनुपालन के लिए विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप या गैर-अनुरूपता का परिणाम है, जैसा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को प्रदान किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता ऐसे सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा। रिकॉल उत्पादों को सुधारने के लिए आवश्यक, जिसमें निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को निरंतर बनाये रखने के संबंध में सीमित नहीं है, ऐसे नुकसान या क्षति या तीसरे पक्ष के दावों जिसकी क्षतिपूर्ति की गई है, जो सुरक्षा दोषों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। आपूर्तिकर्ता भी निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को उनके खिलाफ वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के लिए, या इन नियमों के नियम 127सी (9) (ई) और अन्य उपयुक्त नियम का पालन न करने के लिए उन पर लगाए गए दंड को जारी रखेगा।

**9. रिकॉल किए गए उत्पादों का सुधार -**वाहन निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर या उनके प्रतिनिधि जैसे ही व्यवहारिक होंगे, प्रत्येक रिकॉल उत्पाद पर रिकॉल गतिविधि प्रभावित लोगों द्वारा, मालिक या उसका प्रतिनिधि द्वारा उनके डीलर / प्रतिनिधि को वापस ला दी गई। इस तरह की रिकॉल गतिविधि मालिक के लिए निः शुल्क की जाएगी। रिकॉल गतिविधि के भाग के रूप में, निर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर, या उनके प्रतिनिधि रिकॉल उत्पाद के संबंध में सुधार जानकारी दर्ज करेंगे। मामले की दोष की प्रकृति के आधार पर निर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर, जिनके वाहनों को वापस बुलाया जाता है, वे अधिनियम की धारा 110 ए (3) में निर्धारित किसी भी आवश्यक कार्रवाई को निम्नलिखित रूप में किया जायेगा:

(क) वाहन की मरम्मत; या

(ख) समान विनिर्देश के दूसरे मोटर वाहन के साथ दोषपूर्ण मोटर वाहन को बदलें; या

(ग) खरीदार को वाहन की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति;

**10. दोषपूर्ण भागों को नष्ट करना -** निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोष वाले सभी हिस्से या जो उसमें हैं, या उनके अधिकार या नियंत्रण में आते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उपयोग में के लिए अक्षम हो जाते हैं या पुनः उपयोग में नहीं लाए जाते हैं जब तक कि उन्हें ठीक कर सुरक्षित बना दिया जाता है। इसके अलावा, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, डीलरों या आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे, क्योंकि यह मामला पुर्जों की सुरक्षित पुनः प्राप्ति के लिए हो सकता है।

**11. रिकॉल में महत्वपूर्ण परिवर्तन -** निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर तुरंत नामित प्राधिकारी को सूचित करेंगे, यदि रिकॉल के कार्यक्षेत्र या प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है।



12. **रिकॉल के रिकॉर्ड** - निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर रिकॉर्ड, ए और बी के अनुसार को बनाए रखेंगे, उनके द्वारा किए गए प्रत्येक रिकॉल से संबंधित एक अवधि तक, जब रिकॉल समाप्त हो जाता है और उसके बाद नामित प्राधिकरण को उक्त प्रपत्र को प्रस्तुत करता है।

13. **मौजूदा रिकॉल की अधिसूचना** - निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जब तक कि केंद्र सरकार या नामित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, नियम 127 सी के कार्रवाई से तीस दिनों के भीतर फॉर्म-बी के प्रारूप में सभी चालू रिकॉलों का विवरण नामित प्राधिकरण को प्रदान करते हैं।

14. **रिकॉल का पूरा होना** - (1) निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, रिकॉल प्रोग्रेस डेटा की निगरानी करते रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसे नामित प्राधिकारी के साथ साझा करेंगे। नामित प्राधिकरण को वे रिकॉल समापन से पहले या पूर्णता किए जाने या अन्यथा सूचित करेंगे।

(2) ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेजने के बाद भी, वाहन निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, अपने डेटाबेस या अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से ऐसे मामलों की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है। निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के पास रिकॉल रिलीज डेटा से 1 साल के बाद वापस बंद करने का विकल्प होगा। हालाँकि, जारी करने की तारीख से तीन साल पूरे होने पर, रिकॉल को स्वतः निष्क्रिय माना जा सकता है।

15. **लेखा परीक्षा** - ऐसे मामले में, नामित प्राधिकरण का मानना है कि किसी निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने यहां निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है, नामित प्राधिकारी उचित नोटिस अवधि के बाद निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के संबंधित रिकॉर्ड का ऑडिट कर सकता है। इस तरह के ऑडिट से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के बिंदुओं को आगे के आदेश के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रपत्र- ए “रिकॉल” की सूचना के संबंध अधिसूचना					
सेवा भारत सरकार दिनांक		दिनांक:			
		संदर्भ सं.			
निर्माता के संपर्क विवरण					
निर्माता का नाम					
पता और टेलीफोन नंबर	(दिनांक/माह/वर्ष)				
उत्पाद विवरण					
वाहन का नाम	वाहन श्रेणी (पूर्व 2 -व्हीलर / 4 व्हीलर)	वाहन वेरिएंट	विनिर्माण अवधि (दिनांक/माह/वर्ष)		टिप्पणियाँ
			(कब से)	(कब तक)	
वीआइएननंबर रेंज (वाहन पहचान संख्या) रिकॉल 'वाहनों का लक्ष्य(घरेलू बाजार के लिए) :					
'रिकॉल' वाहनकाकुल लक्ष्य		:			
दोष की जानकारी					

दोष का विवरण:		
उपचारात्मक कार्रवाई :		
‘रि कॉल’ घोषणा की तिथि का प्रस्ताव:		
अभियानसमाप्ति तिथि::		
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:		
-		
अधिकृत हस्ताक्षर	तिथि:	

### प्रपत्र बी

(क) प्रत्येक रि कॉल में शामिल रि कॉल उत्पादों की संख्या : \_\_\_\_\_

(ख) प्रत्येक रि कॉल के तहत पिछले अवधि के दौरान उन वाहनों की संख्या जिन पर रि कॉल गतिविधि की गई है: \_\_\_\_\_

(ग) रि कॉल गतिविधि को पूरा करने की अपेक्षित तिथि: \_\_\_\_\_

(घ) नामित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी : \_\_\_\_\_”.

[फा.सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक .....(अ), तारीख .....को किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29<sup>TH</sup> May, 2020.

**G.S.R. 337(E).**— Whereas, the following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 110, 110A and 110B, of the Motor Vehicles Act, 1988 ( 59 of 1988) were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R.185 (E), dated the 18th day of March, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public. However, due to outbreak of COVID-19 these draft rules are being published again for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of Sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in).

The objections or suggestions received earlier against the GSR 185(E) dated 18th March 2020 would be considered and are not required to be sent again. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

#### DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.  
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules)-

(i) in rule 2, after clause (x), the following clause shall be inserted, namely: -

“(xa) “Owner” means a person, a business or group of people that are owner(s) of the motor vehicle, as indicated in the registration records of the vehicle.”

(ii) In rule 126,

(a) after the words “every manufacturer or importer of motor vehicles, including”, the following shall be inserted, namely: -

“Agricultural Tractor, Construction Equipment vehicle, Combine Harvester, Power Tillers.”

(b) before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that all the testing agencies specified in this rule, shall establish compliance with the quality standard, specifically AIS (Automotive Industry Standard), within one year from the date of publication of such standards under this rule, and the testing agencies to be notified under this rule shall be in compliance with the standards from the date of notification of such standards or date of application under this rule, whichever is later.

Provided further that for the purpose of accreditation, registration and regulation of testing agencies under this sub-rule, the quality control and procedure prescribed in AIS notified under this rule shall be followed.”

(c) In the second proviso,

i. after the words “in accordance with the AIS: 017-2000, as amended from time to time,” the following shall be inserted, namely: -

“or procedure laid down by the Central Government, if any,”

ii. after the words “the vehicle manufacturer in accordance with AIS007 (Rev. 5):2014”, the following shall be inserted, namely: -

“as amended from time to time.”

(d) the third proviso shall be deleted.

(e) After the last proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that altered, retrofitted or adapted motor vehicles shall be tested and type approved by the testing agencies specified in this rule, or self-certified by original equipment manufacturers, or self-certified by the work-shops authorised by the State Government, in accordance with Section 52 of the Act and rules made thereunder.”

(iii) For rule 126A, the following rule shall be substituted, namely: -

**“126A. Type Approval and Conformity of Production.**-(1) Where the Testing Agency approves a vehicle as a type vehicle, they shall issue a certificate (hereafter referred to as a “type approval certificate”) as per procedures laid down in AIS 017, as amended from time to time, and the procedures laid down by Central Government stating that the vehicle complies with the provisions of Rules made under Section 110;

(2) A type approval certificate may be issued subject to the inspection by officers of the Testing Agency conforming with the applicable type approval requirements and conditions for entry into the premises of manufacturer, dealer, or warehouse;

(3) The denial of the Type Approval Certificate by the Testing Agency shall be accompanied by a detailed written statement providing the reasons for the denial of the certificate;

(4) The Central Government may cancel or suspend the type approval certificate issued to a motor vehicle, if it appears to the Central Government, or any officer appointed under this sub-rule, that there has been a breach of a conditions subject to which a type approval certificate has been granted:

Provided that prior to exercising the powers under this sub-rule, the Central Government, or any officer appointed under this sub-rule, shall give the holder of the type approval certificate an opportunity of being heard:

Provided further that where the Central Government, or any officer appointed under this sub-rule, cancels or suspends a certificate in pursuance of this sub-rule, a detailed written order shall be issued stating the grounds for the cancellation or suspension;

(4) The testing agencies referred to in Rule 126 shall, subsequent to the grant of the Type Approval Certificate, under this rule shall also conduct tests on motor vehicles drawn from the production line of the manufacturer or dealer or warehouse to verify whether these vehicles conform to the provisions of rules made under Section 110 and Section 110B of the Act;

Provided that in case the number of vehicles sold in India for a given base model and its variants manufactured in India or imported to India are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then such base model and its variants need not be subjected to the above test, if at least one model or its variants manufactured or imported by that manufacturer or importer, as the case may be, is subjected to such tests at least once in a year:

Provided further that, in case the number of base models and its variants manufactured or imported is more than one and if the individual base model and its variants are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then the testing agencies can pick up one of the vehicles out of such models and their variants once in a year for carrying out such test.”;

(iv) Rule 126B to be deleted.

(v) After rule 127, the following rules shall be inserted, namely: -

**“127A. Non-Compliance with Standards prescribed by rules made under Section 109 and 110.-** (1) Subject to the provisions of this rule, an Investigating Officer, or officers, empowered under this rule, shall conduct an investigation and exercise such powers as required to enforce compliance of standards prescribed by rules made under Section 109 and 110 of the Act. An Investigating Officer under this Chapter shall be an officer of the Government, and a public servant and authorised for serving investigations by the Ministry of Road Transport and Highways.

(2) The Investigating Officer, for the purposes of determining whether there has been a contravention of standards imposed by or under this Chapter, may enter the premises of a vehicle manufacturer or component manufacturer or importer or retrofitter of motor vehicle or component, other than premises occupied only as a person’s residence, and inspect any record or procedure connected with the production of a component including software, or motor vehicle; or retro-fitment, including any arrangements for carrying out a test. Such entry and inspection by the Investigating Officer shall be after obtaining the prior permission of an officer not below the rank and pay of Director, Ministry of Road Transport and Highways.

(3) If the Investigating Officer has reasonable grounds to believe that there has been a contravention of standards imposed by or under this Chapter, he may—

(a) for the purpose of ascertaining whether there has been any such contravention, require the manufacturer, importer or retrofitter, or any other person, to supply all necessary information relating to the motor vehicle, or component under investigation, including by the production of records, available in physical or electronic form;

(b) require any record which is stored in an electronic form and is accessible from the premises, to be produced in a form which is convenient and can be stored for record;

(c) Obtain a sample of the finished motor vehicle that is, or contains a constituent part or software that is, in violation of the standards, for the purpose of ascertaining, by testing or otherwise, whether there has been any such contravention; and

(d) Require the production of the stock register of the vehicle under investigation, sold and unsold.

(4) An officer obtaining samples under sub-rule 3(c) shall provide to the person from whom they were taken, written reasons for obtaining samples under Form 50A;

(5) After obtaining a sample under sub-rule 3(c), the officer may send the sample to a testing agency as may be specified under this rule by the Central Government, or any other agency as the Central Government may specify in this regard, or more than one such agency as may be determined by the Investigating Officer, and such agency shall send a report to the officer within specified time limit on compliance with the standards imposed by or under this Chapter, as per Form 50B;

(6) The cost for conducting tests by the agency shall be borne by the Central Government. If the proceedings initiated under Section 182A of the Act reveal that the vehicle, or constituent part, including software, is defective, the costs of such tests shall be recovered from the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be;

(7) Upon the receipt of the report of the Agency under sub-rule 5, the Investigating Officer shall, submit such report along with the findings of the investigation, in Form 50C, to the Central Government, or such officer as may be designated by the Central Government in this regard;

(8) On receipt of the report of the agency, if any, and the findings of the investigation officer under sub-rule (6), the Central Government, or such officer as may be designated by the Central Government in this regard, may initiate proceedings against the manufacturer, importer, or retrofitter and such other persons as deemed necessary, under Section 182A of the Act;

Provided that voluntary corrective action taken by the manufacturer, importer or retrofitter with respect to the motor vehicle in which the non-compliance of the standard has been detected shall be taken into consideration by the Central Government when initiating proceedings under Section 182A of the Act:

Provided further that action under this provision shall not be initiated by the Central Government 6 months beyond the date on which the findings of the Investigating Officer have been received;

(9) During the proceedings initiated under Section 182A, the Central Government, or such officer designated by the Central Government in this regard, may issue a suspension notice as per Rule 127B.

**127B. Suspension Notices.**-(1) The Central Government, or such other officer as may be designated by the Central Government in this regard, may issue a suspension notice to the manufacturer, importer or retrofitter, during the pendency of proceedings under Section 182A, and prohibit the manufacturer, importer or retrofitter, on whom it is served from doing any of the following things:

(a) placing the model or variant of the motor vehicle, its constituent part or software under investigation on the market, offering to place it on the market, agreeing to place it on the market, or exposing it for placing on the market, in India, or

(b) supplying the model or variant of motor vehicle/component under investigation, offering to supply it, agreeing to supply it, in India.

Provided that the period of suspension under the suspension notice shall not exceed the term of the proceedings initiated under Section 182A:

(2) A suspension notice served in relation to a motor vehicle or component under investigation, may require the manufacturer, importer or retrofitter on whom it is served to keep the authority informed of the whereabouts of such motor vehicles or their constituent parts.

**127C. Defective Motor Vehicles and Recall Notice.** -(1) The owner of a motor vehicle, a testing agency, or any other person as may be notified by the Central Government, may make an application through the Vehicle Recall Portal set up for this purpose under this rule by Central Government, to the Designated Authority under this rule, to designate a particular type of motor vehicle as a “defective motor vehicle”.

*Explanation-* For the purposes of this rule, a “defective motor vehicle” shall mean a motor vehicle that falls within the scope of Section 110A(1) of the Act, and shall include a motor vehicle which contains a constituent part, as well as software, which may be defective.

Provided that, for the purposes of this rule “defect” means a fault in any vehicle or component or software that poses or is likely to pose undue risk to road safety or environment, and that exists in a group of vehicles of the same design or manufacture, or items of equipment of the same type and manufacture, and which originated at design, manufacturing or manufacturer’s assembly stage;

(2) The application as per sub-rule (1) to be made on vehicle recall portal shall contain such information about the particulars of the motor vehicle, the complainant/owner of the motor vehicle, nature of the defect in the motor vehicle/component/software, the voluntary action undertaken by the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle for resolving the defect, if any, and such other information, as may be specified by the Central Government;

(3) The Central Government shall designate an officer to exercise such powers as provided in Section 110A(5) and take necessary action, as the Designated Authority for the purposes of this Rule;

(4) The Designated Authority may suo moto issue a recall notice to the manufacturer, importer, or retrofitter of a motor vehicle, where he has reasonable grounds to believe that a motor vehicle is a “defective motor vehicle”, and that the defect exists in a group of vehicles of the same design or manufacture, or items of equipment of the same type and manufacture and which originated at design, manufacturing or assembly stage, and that it has already been supplied or made available to consumers;

Provided further that prior to issuance of the recall notice, the designated authority shall follow the procedure prescribed under sub-rule (5) and (6):

(5) If the Designated Authority has received an application under sub-rule (1), or has suo moto initiated action under sub-rule (2), after obtaining the prior permission of an officer not below the rank and pay of Director, Ministry of Road Transport and Highways, shall issue a show cause notice to the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, and such manufacturer, importer or retrofitter may, within 30 days from receipt of the show cause notice make such response as he deems fit to the Designated Authority.

Provided that the Designated Authority shall initiate the procedure under this rule on the basis of applications made by owners of motor vehicles in a rolling year, only if the manager of the Vehicle Recall Portal informs the Designated Officer that such percentage of owners as may be notified for a particular defect in a type of motor vehicle have made a complaint:

Provided further that the standard applicable to the motor vehicle shall be the standard in force at the time of manufacture, import or retro fitment, of the motor vehicle:

Provided also that this recall will be limited to vehicles which are less than seven years old from the date of manufacturing, import or retro fitment;

(6) After receiving the response from the manufacturer, importer or retrofitter under sub-rule (3), or if the said manufacturer, importer or retrofitter has not made a response within 30 days the Designated Authority shall adopt such procedures as it deems fit to investigate whether the motor vehicle is a “defective motor vehicle”;

(7) The cost or fees of any tests conducted on the motor vehicle, or its constituent part or software, under sub-rule (4) shall be borne by the manufacturer, importer or retrofitter;

(8) Pursuant to the procedure laid down in this rule, if the Designated Authority finds that the vehicle is a “defective motor vehicle” and a recall notice is required to be issued, or the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle has made a declaration under Rule 127D, the Designated Authority shall:

- (a) Require the manufacturer, importer or retrofitter to produce all documents and necessary information on the manufacture of the motor vehicle;
- (b) Require the manufacturer, importer or retrofitter to produce all information in his possession on the sale of all the motor vehicles having the alleged defect; and
- (c) Require the manufacturer, importer or retrofitter to give such other information as may be necessary for the issuance of the recall notice.

(9) The Designated Authority may, after following the procedure laid down under this rule, issue a Recall Notice, to the manufacturer, importer or retrofitter requiring them to take such action as specified therein, including:

- where and to the extent it is practicable to do so, contact consumers who have purchased the motor vehicle in order to inform them of the recall;
- publish a notice in such form and such manner as is likely to bring to the attention of purchasers of the motor vehicle the risk the motor vehicle poses and the fact of the recall;
- make arrangements for the collection or the rectification of motor vehicle and where ever required facilitate collection or delivery of the motor vehicle from consumers who have purchased it or for its disposal;
- such additional requirements on the recipient of the notice as are necessary with a view to achieving the return of the motor vehicle from consumers to the person specified in the notice or its disposal; and
- impose such fine within the limits, as per Table A given below on case to case basis, as directed by the Central Government:

**TABLE A**

No of Vehicles Recalled (for recalls other than 110A(4) of the Motor Vehicle Act 2019)				Penalty Up to
2W	3W & L7	M1, N1	M2, M3, N2, N3, T3, T4	
1 to 6000	1 to 3000	1 to 1,000	1 to 500	10 Lac
6001 to 60,000	3,001 to 30,000	1,001 to 10,000	501 to 5000	20 Lac
60,001 to 6,00,000	30,001 to 3,00,000	10,001 to 1,00,000	5,001 to 50,000	50 Lac
6,00,000 Plus	3,00,000 Plus	1,00,000 Plus	50,000 Plus	100 Lac

Provided that if the manufacturer, importer or retrofitter making a declaration under Rule 127D has already initiated voluntary recall proceedings as specified in Annexure XII to these rules, prior to the issuance of the show cause notice under this rule, then they shall not be subject to the provisions of sub-rule 9:

(10) An appeal against a Recall Notice issued under this rule shall be made before the High Court, and the manufacturer, importer or retrofitter who may be aggrieved by any Recall Notice is required to file an appeal within 90 days from the receipt of the Recall Notice.

**127D. Obligations of Manufacturers, Importers or Retrofitters.** -(1) Every manufacturer, importer or retrofitter, of motor vehicle shall have in place a motor Vehicle Recall Plan as specified in Annexure XII to these rules. Every manufacturer, importer or retrofitter shall also have in place organization procedure to enable them to comply with the plan. The recall plan and the organization procedure may be reflected with in the organisations quality manual.

(2) Without prejudice to the generality of the obligation referred to in sub-rule (1), the manufacturer, importer or retrofitter, is required to:

- be informed of risks posed by the motor vehicles being manufactured, imported or retrofitted, by them;
- conduct investigations, and may take samples of motor vehicles and subject them to safety checks;
- maintain a register of recall related complaints and keep dealers informed of such monitoring;
- take appropriate action necessary to avoid recall related risks, including recall of the motor vehicle from the market, adequately and effectively warning consumers; and
- comply with requirement laid down in Annexure XII of these rules.

(3) Where a manufacturer, importer or retrofitter, knows, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a motor vehicle manufactured, imported or retrofitted, by them poses risks to the consumer and are potentially “defective motor vehicles” within the meaning of Section 110A of the Act, they shall immediately inform the Designated Authority in this chapter, giving details, in particular, of steps taken to prevent risk to the consumer

Provided that if the manufacturer, importer or retrofitter, has informed the Designated Authority under this sub-rule, and they show that they have taken the necessary action to mitigate the risk to the consumer, including by way of voluntary recall of the motor vehicle, they shall not be liable to pay a fine under Rule 127C(9)(e);

(4) When the manufacturer, importer or retrofitter of a motor vehicle is served with a Recall Notice under this Rule, they shall take such measures as specified in the Section 110A(3) of the Act:

Provided that the manufacturer, importer or retrofitter may make an application to the Designated Authority for grant of additional time to initiate and complete the measures specified in the recall notice;

(5) Manufacturer, importer or retrofitter shall notify, through their web site and/or post, email, or through written communication, regarding the initiation of recall action to all the consumers of the affected vehicles and regarding the existence of the defect for which recall has been initiated and shall also include the evaluation of its risk to the safety of occupants and road users;

(6) The communication shall instruct consumers on the available remedies and modalities for availing from the manufacturer, importer or retrofitter;

(7) In the event there is no satisfactory response from any consumer after sending the first recall communication, the manufacturer, importer or retrofitter shall send at least one more subsequent communication. If such consumers do not respond or take action even after sending a second reminder, the manufacturer, importer or retrofitter shall not be held liable for failure to complete the recall process in such cases. Further in those cases also where the consumers are not traceable, even after concerted efforts by the manufacturer, importer or retrofitter, they shall not be held liable for failure to complete the recall process;

(8) The manufacturer, importer or retrofitter shall maintain the records as per Form A and B of Annexure XII relating to each recall conducted by him up to a period when the recall becomes inactive and thereafter submit the said forms to the Designated Authority.”.

(vi) After Form 50, the following Forms shall be inserted, namely: -

<b>Form to be submitted by Investigating Officer to vehicle manufacturer or component manufacturer or importer or retrofitter of motor vehicle or component</b>			
<b>FORM NO. 50 A</b>			
<b>[Rule 127A (4)]</b>			
<b>Notice ID</b>	(Autogenerate)	<b>Date</b>	(Autogene)
<b>Site of Investigation:</b>			
Manufacturer / Importer Name	(text box)		
Manufacturer Importer Address	(text box)		
<b>Issue/ Subject of Investigation:</b>			
Background:			
<i>Pre-fill text box, to be before entering manufacturer premises; will remain static once filled</i>			
<b>Reasons for Investigation:</b>			
<i>Pre-fill text box, to be before entering manufacturer premises; will remain static once filled</i>			
<b>Evidence</b>			



*Type ( Data, Sample, Process, news, other)*

Data  Sample  Process  Other

Evidence details:

**Data** *To be active when "Data" checkbox is selected*

File No. (text box)

Data date (DD/MM/YYYY)

Other details (text box)

Location (text box)

**Sample** *To be active when "Sample" checkbox is selected*

Vehicle  Component  Sub-Assembly

Vehicle Make (text box)

Vehicle Model (text box)

Chassis No. (text box)

Engine No./ Motor ID (text box)

Part Make (text box)

Part Model (text box)

Part ID/ No. (text box)

Seizure/ sealing of Batch/  
production volume

No. of samples/ vehicles seized

**Process** *To be active when "Process" checkbox is selected*

(text box)

**Other** *To be active when "Other" checkbox is selected*

(text box)

*(Add more sheets for additional evidence) - Button for evidence addition*

**Suspicion**

(text box)

<b>Witnesses Interviewed Required</b>	<b>Yes</b>	<b>No</b>
Witness No.	Sr. No. - auto generate if Yes, NA if No	
Witness Name	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA	
Witness Designation	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA	
Witness Department	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA	
Testimony:		
(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA		
Witness Signature	<i>Provision for digital signature</i>	
<i>(Add more sheets for additional witnesses) - Button for witness addition</i>		
Enclosures/ document ----		
<b>Manufacturer representative</b>		
Name	(text box)	
Designation	(text box)	
Department	(text box)	
Signature	<i>Provision for digital signature</i>	
Stamp/ Seal		
<b>Investigating Officer</b>		
Name	(text box)	
Organisation	(text box)	
Designation	(text box)	
Department	(text box)	
Signature	<i>Provision for digital signature</i>	
Stamp/ Seal		

**FORM 50B**

(See rule 127A(5))

<b>Form to be submitted by Testing Agency to the Investigation Officer</b> (INVESTIGATION REPORT FROM TESTING AGENCY)		
Date:		
1.0	Report No.	
2.0	Investigation Reference	
3.0	Name of the Investigation Officer handling the complaint for Central Government	
4.0	Name and Address of the Vehicle Manufacturer / Importer/	

	Retrofitter	
5.0	Nature and Details of Defect Reported	
6.0	Methodology of Investigation carried out by the Testing Agency (Testing / Verification / Audit)	
7.0	Site where Investigation was carried out	
8.0	Test Report(s) / Details referred (If applicable)	
9.0	Sample (Vehicle/ System/Component)	
9.1	Vehicle Make	
9.2	Vehicle Model / Variant certified for CMVR	
9.3	VIN / Chassis No.	
9.4	Engine No./ Motor ID No.	
9.5	System / Component/Software Make	
9.6	System / Component Model	
9.7	System / Component/Software ID No.	
10.0	Details of Production Batch and Production Volume from where the sample was drawn	
11.0	Specific approach adopted for investigation, if any.	
12.0	Details of Investigation carried out by the Testing Agency (Enclosures may be added, if required)	
13.0	Specific Reports / Enclosures considered relevant for this investigation, if any.	
14.0	Conclusions drawn by Testing Agency	
15.0	Name, Signature, Credentials of Authorised Signatory	

**FORM 50C**

(See rule 127A(5))

<b>Form to be submitted by Testing Agency to the Investigation Officer</b> (INVESTIGATION REPORT FROM TESTING AGENCY)		
		Date:
1.0	Report No.	
2.0	Investigation Reference	
3.0	Name of the Investigation Officer handling the complaint for Central Government	
4.0	Name and Address of the Vehicle Manufacturer / Importer/ Retrofitter	
5.0	Nature and Details of Defect Reported	
6.0	Methodology of Investigation carried out by the Testing Agency (Testing / Verification / Audit)	
7.0	Site where Investigation was carried out	

8.0	Test Report(s) / Details referred (If applicable)	
9.0	Sample (Vehicle/ System/Component/Software)	
9.1	Vehicle Make	
9.2	Vehicle Model / Variant certified for CMVR	
9.3	VIN / Chassis No.	
9.4	Engine No./ Motor ID No.	
9.5	System / Component/Software Make	
9.6	System / Component Model	
9.7	System / Component/Software ID No.	
10.0	Details of Production Batch and Production Volume from where the sample was drawn	
11.0	Specific approach adopted for investigation, if any.	
12.0	Details of Investigation carried out by the Testing Agency (Enclosures may be added, if required)	
13.0	Specific Reports / Enclosures considered relevant for this investigation, if any.	
14.0	Conclusions drawn by Testing Agency	
15.0	Name, Signature, Credentials of Authorised Signatory	”.

(vii) After Annexure XI, the following Annexure shall be inserted, namely: -

**“ANNEXURE-XII**

**(Procedure for managing vehicle recalls under rule 127C)**

**1. Definitions:**

(a) **“Recall”**. - Motor vehicles are required to be designed and manufactured as per applicable standards in such a way as to be sufficiently safe for road use. Sometimes, after release to markets if, in the opinion of manufacturer, importer or retrofitter, some vehicles have issues which maybe a ‘defect’ as defined in rule 127C, such vehicles are to be inspected and rectified by the manufacturer or importer (distributor), free of cost. This activity is called as “Recall”.

(b) **“Vehicle Recall Portal”** means the data base of the safety recall or recalls created, uploaded and maintained by or on behalf of the Ministry of Road Transport and Highways or the Designated Authority, referred to in Rule 127C.

(c) **“Recall product”** shall mean a product wherein a defect has been identified and confirmed post due investigation.

(d) **“Recall activity”** in relation to a recall means, the inspection of potentially affected product and the rectification or, where necessary, replacement of a defective constituent, part or software if the recall product is found to have a defect in respect of which the recall is being conducted. Recall activity shall not necessarily require replacement of the vehicle.

(e) **“Component”** means any part, assembly, fitted in the vehicle or supplied along with the vehicle by the vehicle manufacturer.

(f) **“Designated Authority”** means the officer appointed under Rule 127C.

**2. Assignment of responsibility.** - Each manufacturer, importer or retrofitter, shall assign responsibility for the initiation, conduct and supervision of recalls, for reporting progress of recall to the Central Government or the Designated Authority and for the handling of such other matters within the organisation of manufacturer, importer or retrofitter.

**3. Establishment of procedures by manufacturer, importer or retrofitter.-** Each manufacturer, importer or retrofitter, shall establish and maintain within its organisation such procedures which will enable the manufacturer, importer or retrofitter to comply with the procedures prescribed herein.

**4. Investigation relating to safety defects by the manufacturer, importer or retrofitter. –**

- (1) The determination of a defect requires a proper risk assessment based on factors such as probability of occurrence of failure, severity of consequences of a potential failure as well as controllability by the driver of the vehicle.
- (2) If a manufacturer, importer or retrofitter, has reason to believe that a defect exists, or may exist, in any model, type or category of a product, the manufacturer, importer or retrofitter, shall immediately commence investigation to determine whether the defect exists.
- (3) The manufacturer, importer or retrofitter, shall ensure that the investigation is carried out expeditiously and in a manner which will enable them to determine properly and promptly whether the defect exists and, if so, the nature of the defect and the products potentially affected by the defect.
- (4) In carrying out the investigation, the manufacturer, importer or retrofitter, shall consider: -
  - (a) the information or advice received, the incident or incidents which may point to the existence of a defect and the reported number and frequency of the incidents;
  - (b) when, and the circumstances in or under which, the incidents have occurred or may occur;
  - (c) the consequences of the incidents resulting from the defect; and
  - (d) any other relevant facts and circumstances directly related to incident indicating the defect.
- (5) If the investigations and considerations do not lead to a conclusion that the safety defect exists, the manufacturer, importer or retrofitter, may decide the vehicle to be ineligible for recall action and shall continue to monitor the product.

**5. Obligation to conduct a recall.-**

**(1) General Obligations. -**

- (a) If, as a result of the investigations and considerations referred to in clause 4 of this Annexure, a defect is found to exist in a product, the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, shall conduct a recall in accordance with the prescribed procedures.
- (b) The standards applicable to a motor vehicle shall be those prevailing at the time of manufacture, import or retro fitment, of that particular motor vehicle.

**(2) Exceptions-**

- (a) If a manufacturer, importer or retrofitter, identifies a defect in their product before it is delivered to the customer, they would not be under obligation to conduct a safety recall in respect of such product.
- (b) The timely repairs, maintenance and good up keep of the vehicle, as advised in owner's manual or handbook, is the prime responsibility of the vehicle owner. Accordingly, upon investigation by manufacturer, importer or retrofitter the vehicle would be ineligible for 'recall' action for reported 'defects' in case any fitment or alteration has been carried out by the vehicle owner or any agency that has not been authorized by the vehicle manufacturer, importer or retrofitter, or the legal provisions of CMVR, which affects the performance and has led to a defect during the usage of the vehicle.
- (c) Any vehicle would be ineligible for recall if it has been severely overloaded in service or used for a purpose other than the purpose for which it was designed and approved.
- (d) Any vehicle would be ineligible for recall which has developed a defect because of 'force majeure' events as such vandalism during civil disturbances, or natural disasters or acts of terrorism.

**(3) Identification of recall products and determination of manner of rectification-** If a manufacturer, importer or retrofitter is required to conduct a recall under clause 4 of this Annexure, they shall, without undue delay, -

- (a) identify the recall products by unique number(s) (Vehicle Identification Number, serial number or other such number, date of manufacture and/or by such other identifying particulars as are available or as can reasonably be obtained); and
- (b) determine the manner in which the recall products are to be rectified (if rectification is required) so as to eliminate the safety defect therefrom.

**(4) Preparation and publication for safety recall-** When a manufacturer, importer or retrofitter, has identified the recall products and determined the manner in which the recall products are to be rectified, the manufacturer, importer or retrofitter, their representatives, or authorised dealers, shall:

- (a) having regard to the nature of the defect and/or the urgency for rectification, determine the steps which are to be taken to notify customers of the safety recall as prescribed in the rules and, in particular, the manufacturer, importer or retrofitter, or their representatives shall prepare:
- (i) from such records and sources as are available to the manufacturer, importer or retrofitter, a list containing the names, addresses and other required details of the owners of the recall products;
  - (ii) a notice to the authorised dealer(s) informing them of the recall and details of the actions which the manufacturer, importer or retrofitter, and their dealers would need to take for initiating and conducting the recall;
  - (iii) a communication to the Designated Authority as prescribed in the rules;
  - (iv) a notice to owners of the recall product informing them of their rights and the actions they need to take to support the recall initiative.
- (b) if the nature of the defect and/or urgency for rectification of the recall products requires immediate action, the manufacturer, importer or retrofitter, shall make the owners of the relevant product aware of the safety defect through electronic and or print media, disseminating such information as is necessary to inform owners of the recall products and the actions which such owners would need to take immediately.

(5) Availability of replacement items and recall activity instructions- When the manufacturer, importer or retrofitter, has identified the nature of the defect and the recall products and determined the manner in which the defect will be rectified, the manufacturer, importer or retrofitter, shall take such actions as are necessary to ensure that their dealers have, or will have at the appropriate time, the parts, assemblies and/or material including software, and the technical and other instructions required to rectify the defect as and when the owners present the recall product.

**6. Notice to the Designated Authority.-** The manufacturer, importer or retrofitter, or their authorised dealers or representatives shall, within seven working days of starting a voluntary recall, give notice in writing on paper or electronically to the Designated Authority in the format given in Form A.

**7. Owner's failure to respond. -** If an owner of a recall product fails to respond to the first notice or fails to bring back the recall product for inspection and, where appropriate, rectification, within a period of ninety days from the issue of first notice, the manufacturer, importer or retrofitter, or their representatives, or authorised dealers, shall send a final notice to the owner within next thirty days and monitor the progress as prescribed in the rules. Recall progress data shall be shared with the Designated Authority as required.

**8. Advice to suppliers of products of manufacturer, importer or retrofitter and supplier's liability.-** If a product has, or could have, a safety defect and the product was sourced by the manufacturer, importer or retrofitter from a third party supplier, the manufacturer, importer, or retrofitter, shall immediately intimate such third party. Where the manufacturer, importer or retrofitter deems it appropriate, they shall seek the assistance of that third party in determining the nature of the safety defect and the manner in which it would need to be rectified. The manufacturer, importer or retrofitter shall advise the third party of their decision to conduct a safety recall in respect of such products as soon as possible after that decision is made. If it is ascertained that the safety defect is a result of an act or omission or non-conformity with the specifications and standards for compliance, as provided by the manufacturer, importer or retrofitter to the supplier, the supplier shall be liable for all such acts necessary for rectification of recall products, including but not limited to continuing to keep the manufacturer, importer or retrofitter indemnified for such loss or damage or third party claims that may arise in connection with the safety defects. The supplier shall also continue to keep the manufacturer, importer or retrofitter indemnified for any proceedings initiated by a statutory authority against them, or penalties imposed on them for non-compliance with rule 127C(9)(e) of these Rules or other appropriate rule.

**9. Rectification of recall products.-**The vehicle manufacturer, importer or retrofitter or his representative shall carry out, as soon as is practical, the recall activity on each recall product brought back to them, or to their dealer/representative, by the affected owner or his representative. Such recall activity shall be carried out free of charge to the owner. As part of the recall activity, the manufacturer, importer, or retrofitter, or their representative shall record the rectification information regarding the recall product.

Based on the nature of defect as the case maybe, at the discretion of the manufacturer, importer, or retrofitter, whose vehicles are recalled shall take any of the necessary actions below as prescribed in section 110A(3) of the Act:

- (a) Repair the vehicle; or
- (b) Replace the defective motor vehicle with another motor vehicle of similar specification; or
- (c) Reimburse the buyer with full cost of vehicle;

**10. Destruction of defective parts.-** The manufacturer, importer or retrofitter shall ensure that all parts having a defect and which are in, or come into, their possession or control, are destroyed or rendered incapable of use or reuse unless they are reworked and made safe. Further, the manufacturer, importer or retrofitter shall provide necessary instructions to dealers or suppliers, as the case may be for the secure retrieval of parts.

**11. Substantial change in recall. -** The manufacturer, importer or retrofitter shall promptly notify the Designated Authority, if there is any substantial change in the nature or scope of recall.

**12. Records of recall.-**The manufacturer, importer or retrofitter shall maintain the records, as per forms A and B, relating to each recall conducted by them up to a period when the recall becomes inactive and thereafter submit the said forms to the Designated Authority.

**13. Notification of Existing Recalls.-** The manufacturer, importer or retrofitter shall, unless directed by the Central Government or the Designated Authority, provide to the Designated Authority within thirty days from the commencement of Rule 127C, details of all ongoing recalls being conducted by them in the format at **Form-B**.

**14. Completion of Recall. -(1)** The manufacturer, importer or retrofitter shall continue to monitor the recall progress data and share it with Designated Authority, as and when required. They shall inform the Designated Authority before closure of recall, on completion or otherwise.

(2) Even after sending the final notice to customers, the vehicle manufacturers, importer or retrofitter, may monitor such cases through their database or authorized dealer network and address them as and when reported for rectification. The manufacturer, importer, or retrofitter, will have an option of closure of recall after 1 year from recall release data. However, on completion of three years from the recall release date, the recall may be deemed automatically inactive.

**15. Audit. -** In case, Designated Authority believes that a manufacturer, importer or retrofitter has not complied with the procedure prescribed herein, Designated Authority may conduct audit of the related records of the manufacturer, importer or retrofitter, after a reasonable notice period. Action points arising out of such an audit shall be submitted to the Central Government for further orders.

<b>FORM- A</b>					
<b>NOTIFICATION REGARDING “RECALL” INFORMATION</b>					
To Government of India		Date:			
		Reference No.			
<b>Manufacturer’s Contact Details</b>					
<b>Manufacturer’s Name</b>					
<b>Address &amp; Telephone Number</b>					
<b>Product Details</b>					
Vehicle Name	Vehicle Category (ex. 2 –wheeler/4 Wheeler)	Vehicle Variant	Manufacturing Period (DD/MM/YYYY)		Remarks
			(FROM)	(TO)	

<b>VIN Numbers Range (Vehicle Identification No.) of target 'Recall' vehicles (for Domestic Market):</b>	
<b>Total number of target 'Recall' vehicles:</b>	
<b><u>Defect Information</u></b>	
<b>Description of defect:</b>	
<b>Remedial Actions:</b>	
<b>Proposal of Date of 'Recall' Announcement:</b>	
<b>Campaign End Date:</b>	
<b>Any other relevant information:</b>	
-	
<b>Authorized Signatory</b>	<b>Date:</b>

**Form-B**

- (a) The number of recall products involved in each recall : \_\_\_\_\_
- (b) The number of vehicles on which the recall activity under each recall has been carried out during the previous period : \_\_\_\_\_
- (c) Expected date for completion of recall activity : \_\_\_\_\_
- (d) Any other relevant information as required by the Designated Authority: \_\_\_\_\_”.

[F.No. RT-11036/63/2019-MVL]

PRIYANKBHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. ....(E), dated.....